ऑन लाईन नं. GCMS 2022/85

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 11/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री दीपक मिढा पुत्र श्री नरेश कुमार मिढा जाति अरोड़ा, निवासी वार्ड नम्बर 16, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
   मैसर्स :– अरोड़ा एण्ड सन्स, मेन मार्केट, अनूपगढ।
2. म. श्री संदीप कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार , मैसर्स अरोड़ा एण्ड सन्स, मेन मार्केट अनूपगढ।

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 11.05.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.08.2021 को दोपहर बाद 02.00 पी.एम. पर दौराने निरीक्षणार्थ श्री दीपक मिढा पुत्र श्री नरेश कुमा मिढा जाति अरोड़ा, निवासी वार्ड नम्बर 16, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर, मैसर्स अरोड़ा एण्ड सन्स, मेन मार्केट, अनूपगढ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/संस्थान पर मालिक श्री दीपक मिढा पुत्र श्री नरेश कुमा मिढा जाति अरोड़ा, निवासी वार्ड नम्बर 16, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था, जिसका विकेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ 25 **मिर्च पाउडर** किलो विक्रय हेतु रखी थी , शुद्वता की जांच हेतु उसमें से 02 किलो नमूना वास्ते लिये, विकेता एवं मालिक को मौके

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और खरीद प्राप्ति की रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात 2 किलो मिर्च पाउडर खाद् पदार्थ नमूने वास्ते लिये, जिसके पेटे 440/–रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खुरीद शुदा **मिर्च पाण्डर** खादर्य पदार्थ नमूने वास्ते लिये जिसको मूल ही चार बोतलों को प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1188** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1188** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के–1188 मिर्च पाउडर** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता दीपक मिडडा ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/314/ एक्ट/2021/314 दिनांक 30.09.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **Mirch Powder (Loose) Contravene of Regulation No. 2.3.14(15) OF Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation,2011, as sold in loose condition.** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त दीपक मिडडा, पुत्र श्री नरेश कुमार मिडडा, मैसर्स अरोड़ा एण्ड सन्स, मेन मार्केट, अनूपगढ द्वारा अमानक स्तर **मिर्च पाउडर** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2021 को प्रार्थी की उक्त फर्म पर पहुंच कर मौजूद खाद्य पदार्थो का निरीक्षण किया गया जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को श्रीमानजी कार्यालय द्वारा नोटिस कमांकःरीडर/22/576 दिनांक 05.04.2022 दिया गया जिसमें आज की तारीख पेशी वास्ते

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जवाब नियत है। प्रार्थी की दुकान में विक्रय हेतु मौजूद मिर्ची 25 किलोग्राम लोहे की एक पेटी में पायी गई जिसकी लेबोट्रेरी जांच करवाने पर मिर्ची की क्वालिटी मानक अनुसार विक्रय हेतु सही पाई गई परन्तु मिर्ची एक पेटी में खुली रखी हुई थी और मिर्ची एक खुली पेटी में रखी होने का जुर्म प्रार्थी स्वीकार करता है और प्रार्थी अपने आपको पाबन्द करता है कि प्रार्थी आयंदा अपनी फर्म अरोड़ा एण्ड संस पर कोई भी खाद्य सामग्री विक्रय हेतु खुले में नही रखेगा यानि खुली खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा। अतः जवाब पेश कर निवेदनद है कि प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये उक्त प्रकरण का निर्णय पारित किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mirch Powder (Loose)** का सैम्पल **के–1188** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/314/एक्ट/2021/314 दिनांक 30.09.2021 द्वारा सब) **Contravene of Regulation No. 2.3.14(15) OF Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation,2011, as sold in loose condition.** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि अनवानी प्रकरण श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2021 को प्रार्थी की उक्त फर्म पर पहुंच कर मौजूद खाद्य पदार्थो का निरीक्षण किया गया जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को श्रीमानजी कार्यालय द्वारा नोटिस कमांकःरीडर/22/576 दिनांक 05.04.2022 दिया गया जिसमें आज की तारीख पेशी वास्ते जवाब नियत है। प्रार्थी की दुकान में विक्रय हेतु मौजूद मिर्ची 25 किलोग्राम लोहे की एक पेटी में पायी गई जिसकी लेबोट्रेरी जांच करवाने पर मिर्ची की क्वालिटी मानक अनुसार विक्रय हेतु सही पाई गई परन्तु मिर्ची एक पेटी में खुली रखी हुई थी और मिर्ची एक खुली पेटी में रखी होने का जुर्म प्रार्थी स्वीकार करता है और प्रार्थी अपने आपको पाबन्द करता है कि प्रार्थी आयंदा अपनी फर्म अरोड़ा एण्ड संस पर कोई भी खाद्य सामग्री विक्रय हेतु खुले में नही रखेगा यानि खुली खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा। प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये उक्त प्रकरण का निर्णय पारित किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Mirch Powder (Loose)" bearing Code No. and Sr. No. **K-1188** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Contravene of Regulation No. 2.3.14(15) OF Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation,2011, as sold in loose condition.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त दीपक मिडडा, पुत्र श्री नरेश कुमार मिडडा, मैसर्स अरोड़ा एण्ड सन्स, मेन मार्केट, अनूपगढ को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त दीपक मिडड़ा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में "Mirch Powder (Loose)" बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर